न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 665 सन् 2013

अरूण कुमार व अन्य.....वादीगण

बनाम

विजेन्द्र शुक्ल .....प्रतिवादी

दिनांक– 22.09.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 17.08.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से दिनांक 17.08.2020 को आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी विजेन्द्र शुक्ल की मृत्यु दिनांक 04.07.2020 को हो गई। वादी सं0 1 तथा प्रतिवादी का संबंध आपस में भतिजा और चाचा का था। प्रतिवादी विजेन्द्र शुक्ल वादी अरूण कुमार के सहोदर चाचा थे। प्रतिवादी विजेन्द्र शुक्ल अपने जायज वारिसान दो लड़के राकेश कुमार शुक्ल उर्फ मिंटू जी एवं राजेश शुक्ल तथा दो लड़कियां अल्का मिश्रा एवं संगीता पाण्डेय एवं अपनी पत्नी प्रतिमा देवी को छोड़कर दिनांक 04.07.2020 को फौत कर गए। प्रतिवादी विजेन्द्र शुक्ल के स्थान पर उनके वारिसानों का नाम न्यायहित में प्रतिस्थापित होना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी विजेन्द्र शुक्ल के स्थान पर उनके वारिसानों का नाम जिसका पूर्ण विवरण आवेदन में दिया गया है प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में मात्र एक प्रतिवादी विजेन्द्र शुक्ल थे जिनकी मृत्यु के संबंध में यह प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिस्थापना आवेदन पोषणीय है। अतः न्यायहित में वादी की आर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी विजेन्द्र शुक्ल का नाम वादपत्र से काटकर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम जो आवेदन पत्र में वर्णित है प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 06.10.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।